अनुसूची–I

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची–834010.

झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल में पारा चिकित्सा कर्मियों की भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2018

आवश्यक सूचना संख्या – 10

संख्या :– 3254 राँची, दिनांक **16.04.2019**

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा **परिधापक, महिला नर्स एवं पुरूष नर्स, मिश्रक, फार्मासिस्ट तथा एक्स–रे टेकनीशियन** की सीधी रिक्तियों तथा **परिधापक** की बैकलॉग रिक्तियों पर भर्ती हेतु योग्य उम्मीद्वारों के चयन के निमित्त विज्ञापन संख्या 01/2018 एव 02/2018 प्रकाशित करते हुए दिनांक 01.08.2018 से 30.08.2018 तक ऑन लाईन आवदेन पत्र आमंत्रित किए गये थे। दिनांक 02.12. 2018 को परिधापक पद हेतु एक पाली एवं अन्य पदों यथा– **महिला नर्स एवं पुरूष नर्स, मिश्रक, फार्मासिस्ट तथा एक्स–रे टेकनीशियन** के लिए दो पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। तत्पश्चात मेधा क्रमानुसार अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का प्रारम्भिक सत्यापन दिनांक 14.02.2019 को किया गया। उक्त जाँच में अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु जाँच की तिथि से एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया। उक्त निर्धारित जाँच में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु 18.02.2019 को आमंत्रित करते हुए उनके प्रमाण पत्रों की जाँच की गई तथा इस तिथि को अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया।

2. उपर्युक्त पदों में पात्रता/शैक्षणिक अहर्त्ता/आरक्षण इत्यादि की शर्त्तें संक्षेप में तद्हेतु प्रकाशित विज्ञापन से सम्बन्धित विवरणिका में अंकित की गई हैं। आरक्षण सम्बन्धी विस्तृत शर्त्तें विवरणिका की कंडिका 10 में अंकित करते हुए विवरणिका की कंडिका 9 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि **''ऑन–लाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें। आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग के वेवसाईट www.jssc.in या www.jssc.nic.in पर जाएँ एवं Online Application for JHPCCE-2018 पर Click करें तथा आवेदन पत्र भरें। आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन Submit करें। एक बार आवेदन Submit करने के पश्चात् परीक्षाफल को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रविष्टि यथा जन्म तिथि, जाति, निःशक्त जन प्रमाण पत्र, स्थानीयता प्रमाण पत्र इत्यादि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और आवेदन पत्र में भरे गये दावे के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थियों के द्वारा जिन प्रमाण पत्रों की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया जाएगा उन प्रमाण पत्रों की मूल प्रति जाँच कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से जाँच हेतु प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि परीक्षाफल को प्रभावित करने वाले उसी दावे की प्रविष्टि आवेदन पत्र में करें जिसके समर्थन में उनके पास सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र हो।''**

3. विज्ञापन की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि:–

क) उपर्युक्त कंडिका–2 में वर्णित पदों पर झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी ही आवेदन देने के पात्र हैं। अतः विवरणिका के परिशिष्ट–III पर दिये गये प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित करने की तिथि तक आरक्षित एवं अनारक्षित दोंनों कोटि के अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है। उक्त परिशिष्ट में स्पष्ट रूप से अंकित है कि अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

ख) परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि, स्थानीय निवासी, इत्यादि से सम्बन्धी पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं।

ग) परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने पर आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

4. आरक्षण/आयु सीमा इत्यादि की शर्त्तें निम्नवत् निर्धारित है :–

क) आरक्षणः– यथा विवरणिका की कंडिका– 8 में निहित

(I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा दावा किये गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है।

(II) **क्षैतिज आरक्षण**

महिला/दिव्यांग कोटि के अधीन क्षैतिज आरक्षण का दावा करने वाले अनारक्षित/आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है।

(III) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगाः–

(i) जाति प्रमाण पत्र– जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित–प्रपत्र {अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए **परिशिष्ट–I पर अंकित प्रपत्र** तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1 एवं 2) के लिए **परिशिष्ट–II पर अंकित प्रपत्र**} में अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण–पत्र।

(ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची–1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 के लिए दिनांक 31.03.2015 के पश्चात् विहित–प्रपत्र **(परिशिष्ट–II पर अंकित प्रपत्र)** में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(iii) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को ऑन लाईन **आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र की संख्या, इसके निर्गम की तिथि तथा उस प्रमाण पत्र को निर्गत करने वाले प्राधिकार का पद नाम अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। इन प्रमाण पत्रों की जाँच तद्हेतु निर्धारित कार्यक्रम में आयोग द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर आवेदन पत्र में भरे गये प्रमाण पत्रों को अनिवार्य रूप से जाँच हेतु प्रस्तुत करना होगा।**

(iv) दिव्यांग कोटि (दृष्टिदोष/मूक वधिर) के तहत क्षैतिज आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र की संख्या एवं उसके निर्गम की तिथि ऑन लाईन आवेदन पत्र में अंकित करनी होगी तथा प्रमाण पत्रों के जाँच के समय उक्त प्रमाण पत्र जाँच हेतु आयोग को उपलब्ध कराना होगा।

(v) सभी प्रमाण पत्रों की संख्या एवं निर्गत तिथि आवेदन में अंकित करना अनिवार्य है।

महिला/दिव्यांग कोटि के क्षैतिज आरक्षण हेतु स्थानीय निवासी सम्बन्धी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिशिष्ट के रूप में विवरणिका में संलग्न है। आवेदक उपर्युक्त प्रपत्रों में सक्षम स्तर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही ऑन लाईन आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करे तथा ऑन लाईन आवेदन प्रपत्र में यथा स्थान अपने जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की संख्या एवं निर्गम तिथि दर्ज करें। उक्त प्रमाण पत्रों की मांग आयोग आवश्यकतानुसार कभी भी कर सकता है।

नोटः– सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट–I, परिशिष्ट–II एवं परिशिष्ट–III पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते है, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उतरदायी होगे।

ख) शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता यथा विज्ञापन की कंडिका 5 में अंकितः–

क्र॰सं॰	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	3
(i)	परिधापक	झारखण्ड राज्य के शिक्षण संस्थानों से 10वीं (मैट्रिक) कक्षा उतीर्णता के साथ सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से परिधापक पद हेतु एक वर्ष प्रशिक्षण कोर्स में उतीर्णता
(ii)	महिला नर्स (ए॰एन॰एम॰)	क) न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ 10वीं (मैट्रिक) कक्षा उतीर्ण ख) 18 माह का ए॰एन॰एम॰ प्रशिक्षण कोर्स उतीर्ण ग) अभ्यर्थी झारखण्ड नर्सिंग काउन्सिल से पंजीकृत हों
(iii)	पुरूष नर्स (ए॰एन॰एम॰)	क) न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ 10वीं (मैट्रिक) कक्षा उतीर्ण ख) 18 माह का ए॰एन॰एम॰ प्रशिक्षण कोर्स उतीर्ण ग) अभ्यर्थी झारखण्ड नर्सिंग काउन्सिल से पंजीकृत हों
(iv)	मिश्रक	क) इण्टरमीडिएट/10+2 की परीक्षा विज्ञान विषयों में उतीर्णता के साथ मिश्रक/फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्स उतीर्ण अथवा वर्ष 1994 के पूर्व मैट्रिक परीक्षा उतीर्णता के साथ मिश्रक/फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्स उतीर्ण। ख) उपर्युक्त वांछित डिप्लोमा विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रदत होना चाहिए। ग) अभ्यर्थी को झारखण्ड राज्य या अन्य राज्यों के फार्मेसी काउन्सिल से पंजीकृत होना चाहिए।
(v)	फार्मासिस्ट	क) इण्टरमीडिएट/10+2 की परीक्षा विज्ञान विषयों में उतीर्णता के साथ फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्स उतीर्ण अथवा वर्ष 1994 के पूर्व मैट्रिक परीक्षा उतीर्णता के साथ फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्स उतीर्ण। ख) उपर्युक्त वांछित डिप्लोमा विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रदत होना चाहिए। ग) अभ्यर्थी को झारखण्ड राज्य या अन्य राज्यों के फार्मेसी काउन्सिल से पंजीकृत होना चाहिए।

क्र॰सं॰	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	3
(vi)	**एक्स–रे टेकनीशियन**	क) इण्टरमीडिएट / 10+2 की परीक्षा विज्ञान विषयों में उतीर्णता के साथ **एक्स–रे टेकनीशियन** का डिप्लोमा कोर्स उतीर्ण। ख) उपर्युक्त वांछित डिप्लोमा विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रदत होना चाहिए। ग) अभ्यर्थी को झारखण्ड राज्य या अन्य राज्यों के पारा मेडिकल काउन्सिल से पंजीकृत होना चाहिए। घ) अभ्यर्थी को कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए।

ग) आयु सीमा यथा विज्ञापन की विवरणिका की कंडिका 6 में अकितः–

आयु सीमा : उपर्युक्त कंडिका–5 में वर्णित पदों के संदर्भ में न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र की गणना दिनांक 01.08.2017 के आधार पर की जायेगी।

न्यूनतम उम्र :– सभी पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष है।

अधिकतम उम्र :–(कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 609 दिनांक 25.01.2016 द्वारा यथा निर्धारित)

(क)	अनारक्षित	–	35 वर्ष।
(ख)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग– (अनुसूची– 1) एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 (पुरूष)	–	37 वर्ष।
(ग)	अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति (पुरूष एवं महिला)	–	40 वर्ष।
(घ)	झारखण्ड राज्य की स्थानीय निवासी महिला [अनारक्षित / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)]	–	38 वर्ष।

(i) सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता सम्बन्धी प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा पर्षद से विहित प्रपत्र में निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में निःशक्ततों का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) अथवा उससे अधिक हो।

(ii) भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र यथा समय आयोग द्वारा माँग की जायेगी जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

घ) प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन में अभ्यर्थी की उपस्थिति यथा विवरणिका की 14 (vii):– ऑनलाईन आवेदन में अंकित सभी प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की जाँच प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में की जायेगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदन की अभ्यर्थिता रद्द समझी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन में अंकित जाति प्रमाण पत्र/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जाँच के समय प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण/ क्षैतिज आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

5. उपर्युक्त शर्त्तों के सापेक्ष अभ्यर्थियों से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। तत्सम्बन्धी आपत्तियाँ, अभ्यर्थियों का अभिकथन तथा आयोग का निर्णय निम्न विवरणी में अंकित हैः–

क्र॰ स॰	नाम / अनुक्रमांक / जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
पुरूष नर्स (सीधी भर्ती)				
1	David Hemrom 1101120130 08/Jan/1988	अभ्यर्थी को दिनांक 14.02.2019 को प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया परन्तु अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक –30.08.2018 तक झारखण्ड नर्सिग काउन्सिल से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया। अतः उन्हें तद्हेतु एक सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 14.02. 2019 को सूचित किया गया कि भोपाल नर्सिंग काउन्सिल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति में विलम्ब होने के कारण आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक – 30.08.2018 तक झारखण्ड नर्सिग काउन्सिल से पंजीकृत नहीं हो पाए।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा झारखण्ड नर्सिग काउन्सिल से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं होने के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
महिला नर्स (सीधी भर्ती)				
1	Alka Kumari 1101120029 15/Jan/1992	अभ्यर्थी को दिनांक 14.02.2019 को प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया परन्तु अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक –30.08.2018 तक निर्गत झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया। अतः उन्हें तद्हेतु एक सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 14.02. 2019 को सूचित किया गया कि गढ़वा जिला में अधिकारी के स्थानतंरण होने के कारण स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्ति में विलम्ब हुआ।	उपर्युक्त कंडिका 3 (क) में अंकित शर्त्तों के आलोक में वर्णित पदों पर आवेदन देने हेतु झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी ही पात्र हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भी प्रमाण पत्र की गलत निर्गम तिथि भरते हुए आवेदन पत्र समर्पित किया गया, जबकि अभ्यर्थी आवेदन देने की अंतिम तिथि दिनांक –30. 08.2018 तक झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र धारित नहीं करते थे। अतः मान्य अवधि का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
एक्स–रे टेकनीशियन (सीधी भर्ती)				
1	Umashankar Mahato 1103150133 01/Mar/1981	अभ्यर्थी को दिनांक 14.02.2019 को प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया परन्तु अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक –30.08.2018 तक **एक्स–रे टेकनीशियन** का डिप्लोमा कोर्स उर्त्तीण होने का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया। अतः उन्हें दिनांक–28.02.2019 को नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक– 05.03. 2019 तक वांछित प्रमाण पत्र समर्पित करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 05.03. 2019 को यह सूचित किया गया कि **एक्स–रे टेकनीशियन** के लिए यु०एस०जी० को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा वैध माना गया है।	विज्ञापन से संबद्ध विवरणिका का प्रावधान उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित है। इस शर्त में पाठयक्रम की समकक्षता अंकित नहीं है। अभ्यर्थी **एक्स–रे टेकनीशियन** का डिप्लोमा कोर्स उर्त्तीण नहीं है। अतः इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।

क्र॰ स॰	नाम / अनुक्रमांक / जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
2	Mantu Rajwar 1103150065 15/Feb/1984	अभ्यर्थी को दिनांक 14.02.2019 को प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया परन्तु अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक –30.08.2018 तक **एक्स–रे टेकनीशियन** का डिप्लोमा कोर्स उर्त्तीण होने का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया। अतः उन्हें दिनांक–14.03.2019 को नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक– 18.03. 2019 तक वांछित प्रमाण पत्र समर्पित करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 14.03. 2019 को अपने आवेदन के साथ झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद के दिनांक–15.02.2018 को संपन्न बैठक की कार्रवाई की प्रति संलग्न की गई।	विज्ञापन से संबद्ध विवरणिका का प्रावधान उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित है। इस शर्त में पाठयक्रम की समकक्षता अंकित नहीं है। अभ्यर्थी **एक्स–रे टेकनीशियन** का डिप्लोमा कोर्स उर्त्तीण नहीं है। अतः इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
2	Neelam Kerketta 1103150112 18/Oct/1978	अभ्यर्थी को दिनांक 14.02.2019 को प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया परन्तु अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक –30.08.2018 तक **एक्स–रे टेकनीशियन** का डिप्लोमा कोर्स उर्त्तीण होने का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया। अतः उन्हें दिनांक–28.02.2019 को नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक– 05.03. 2019 तक वांछित प्रमाण पत्र समर्पित करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 05.03. 2019 को अपने आवेदन के साथ विभागाध्यक्ष रेडियो डायग्नोसिस, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के स्तर से जारी एक टेस्टेमोनियल की प्रति संलग्न की गई जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि एक्स–रे टेकनीशियन एवं रेडियो ग्राफी एक ही पाठयक्रम होता है।	विज्ञापन से संबद्ध विवरणिका का प्रावधान उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित है। इस शर्त में पाठयक्रम की समकक्षता अंकित नहीं है। अभ्यर्थी **एक्स–रे टेकनीशियन** का डिप्लोमा कोर्स उर्त्तीण नहीं है। अतः इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
मिश्रक (सीधी भर्ती)				
1	Birendra Kumar Yadav 1103140040 15/Jan/1990	अभ्यर्थी को दिनांक 14.02.2019 को प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया परन्तु अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक –30.08.2018 तक निर्गत झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया। अतः उन्हें तद्हेतु एक सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 14.02. 2019 को सूचित किया गया कि गढ़वा जिला में अधिकारी के स्थानतंरण होने के कारण स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्ति में विलम्ब हुआ।	उपर्युक्त कंडिका 3 (क) में अंकित शर्त्तो के आलोक में वर्णित पदों पर आवेदन देने हेतु झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी ही पात्र हैं। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की गलत संख्या एवं निर्गम तिथि अंकित करते हुए आवेदन पत्र समर्पित किया गया, जबकि अभ्यर्थी आवेदन देने की अंतिम तिथि दिनांक –30.08.2018 तक झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र धारित नहीं करते थे। अतः मान्य अवधि का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।

क्र॰ स॰	नाम/अनुक्रमांक / जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
2	Sanjay Chaudhary 1103130123 05/Jan/1994	अभ्यर्थी को दिनांक 14.02.2019 को प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया परन्तु अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक –30.08.2018 तक निर्गत झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया। अतः उन्हें तद्हेतु एक सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 20.02. 2019 को अपने आवेदन के साथ दिनांक 26.06.2012 एवं दिनांक 02.02.2019 को निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 3 (क) में अंकित शर्त्तो के आलोक में वर्णित पदों पर आवेदन देने हेतु झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी ही पात्र हैं। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की गलत संख्या एवं निर्गम तिथि अंकित करते हुए आवेदन पत्र समर्पित किया गया, जबकि अभ्यर्थी आवेदन देने की अंतिम तिथि दिनांक –30.08.2018 तक झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी होने का विज्ञापन की शर्तों के अनुकूल मान्य प्रमाण पत्र धारित नहीं करते थे। अतः मान्य अवधि का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
3	Jyoti Kumari 1103140008 12/Apr/1992	अभ्यर्थी को दिनांक 14.02.2019 को प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया परन्तु अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक –30.08.2018 तक निर्गत झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया। अतः तद्हेतु उन्हें अतिरिक्त समय प्रदान किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपने ई–मेल दिनांक 05.05.2019 में स्पष्ट किया गया कि ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि–30.08.2018 तक उनके पक्ष में सक्षम स्तर से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हुआ था। यह प्रमाण पत्र दिनांक– 17.12. 2018 को निर्गत हुआ। अभ्यर्थी द्वारा अन्य दो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र दिनांक– 25.08. 2012 तथा 03.11.2012 की प्रति समर्पित की गई।	दिनांक–25.08.2012 को निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र शैक्षणिक कार्यो तथा 03.12.2012 को निर्गत प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत है। उक्त दोनों प्रमाण पत्र उपर्युक्त कंडिका 3 (क) में अंकित शर्त्तो को पुरा नहीं करते हैं। दिनांक– 17.12.2018 को निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आवेदन देने की अंतिम तिथि 30.08.2018 के उपरांत निर्गत है। अतः उपर्युक्त कंडिका–3 (क) में अंकित शर्तों के पूर्ण नहीं होने के कारण इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाता है तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
परिधापक (सीधी भर्ती)				
1	Sandeep Sourav 1104110290 05/May/1986	प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु 14.02.2019 की तिथि निर्धारित की गई थी। सम्बन्धित अभ्यर्थियो को SMS तथा E-mail भी भेजे गये एवं इससे सम्बन्धित सूचना आयोग के वेब साईट में प्रकाशित की गई। दिनांक 14. 02.2019 को अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 18.02.2019 की तिथि निर्धारित की गई तथा पुनः SMS तथा E-mail भी भेजे गये। इसके वाबजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।		उपर्युक्त कंडिका 4 (घ) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अनुपस्थित रहने के कारण आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
2	Bijoy Kumar Yadav 1104110056 05-Dec-1986			

क्र॰ स॰	नाम / अनुक्रमांक / जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
3	Pankaj Kumar 1104110226 05-Feb-1989	अभ्यर्थी को दिनांक 14.02.2019 को प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया। प्रमाण पत्रो के सत्यापन से यह स्पष्ट हुआ कि अभ्यर्थी द्वारा Operation Theatre Assistant का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण किया गया है जबकि उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित के अनुसार अभ्यर्थी को सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से परिधापक पद हेतु एक वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स में उतीर्ण होना आवश्यक है। तदहेतु अभ्यर्थी को कारण पृच्छा की गई एवं दिनांक– 21.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा उक्त विहित अवधि में कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित नहीं किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्त्तो के आलोक में सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से परिधापक पद हेतु एक वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स में उतीर्ण नहीं होने के कारण कारण आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
4	Sugandhit Shilmani Kandulna 1104110350 23-Mar-1981	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार परिधापक के पद हेतु आवेदन करने वाले आवदकों के लिए झारखण्ड राज्य के शिक्षण संस्थानों से 10वीं (मैट्रिक) कक्षा उत्तीर्णता के साथ सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से परिधापक पद हेतु एक वर्ष प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन से यह स्पष्ट हुआ कि अभ्यर्थी द्वारा देशबन्धु विद्यालय, जिला वर्धमान (पश्चिम बंगाल) से 10वीं (मैट्रिक) कक्षा उतीर्ण किया गया है। तद्हेतु अभ्यर्थी को कारण पृच्छा की गई एवं दिनांक– 21. 02.2019 तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन दिनांक– 14.02.2019 में यह स्पष्ट किया गया कि उनका परिवार झारखण्ड के मिहिजाम शहर में रहता था तथा उससे सटे हुए पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन अवस्थित विद्यालय में 10वीं (मैट्रिक) कक्षा की शिक्षा ग्रहण की गई है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्त्तो के आलोक में झारखण्ड राज्य के शिक्षण संस्थानों से 10वीं (मैट्रिक) कक्षा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
5	Sunita Kisku 1104110346 15-Jan-1985	अभ्यर्थी को दिनांक 14.02.2019 को प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया परन्तु अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक –30.08.2018 तक निर्गत झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया। अतः तद्हेतु उन्हें अतिरिक्त समय प्रदान किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन दिनांक– 05.03.2019 में यह स्पष्ट किया गया कि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक उनका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत नहीं हुआ था।	उपर्युक्त कंडिका 3 (क) में अंकित शर्त्तो को पुरा नहीं करने के कारण इस परीक्षा के लिए आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।

ह॰ / –
परीक्षा नियंत्रक।